न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 100/2018
वाद दायरी दिनांक : 18/12/2018
निर्णय दिनांक : 11/11/2020

श्रवण पुत्र रामू, जाति गुर्जर, निवासी गिदानी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— वादी

बनाम

तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादी

वाद घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति – श्री रामरतन मीणा
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 11/11/2020

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया की जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के आराजी खाता संख्या 451 के आराजी खसरा नम्बर 152 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.2600 हैक्टेयर आराजी बाके ग्राम गिदानी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित हैं, जिसका वादी एकमात्र काश्त एवं रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 509/1 रकबा 05 बीघा रहे है, जो मिलान क्षैत्रफल से साबित है। उपरोक्त सिजरे अनुसार रामू के तीन पुत्र मेवा, रोडू व श्रवण हुये जिसमे मेवा अविवाहित ही फौत हो गया, जिसका विरासत का नामान्तरकरण संख्या 629 तस्दीक किया गया, जिसमें मेवा के अविवाहित फौत होने उसके दोनों भाई अर्थात रोडू व श्रवण के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया,जिसमें सहवन से रोडू व श्रवण के पिता का नाम रामू दर्ज न कर गलती से राजस्व कारकुनानों ने मेवा ही दर्ज कर दिया चूंकि विवादित आराजीयात रोडू व श्रवण को उनके भाई मेवा से प्राप्त हुयी है, इसलिये

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Signature Not V
Digitally signed by P
Shekhawat
Date: 2020.12.11 1
Reason: SelfAttest

राजस्व कारकुनानों ने गलती से भाई को पिता समझते हुये रामू व श्रवण की वल्दियत मेवा दर्ज कर दी जो कि सहवन से राजस्व काराकुनानों की गलती से हुयी है, जो काबिले दुरूस्तनीय है। इस प्रकार नामान्तरकरण के समय त्रुटी हुयी है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में भी रोडू व श्रवण के पिता का नाम मेवा ही दर्ज कर दिया गया है, जो वर्तमान जमाबन्दी तक बदस्तुर चला आ रहा है। रोडू भी अविवाहित ही था, जिससे वह भी अविवाहित ही फौत हो गया, जिसका एकमात्र विधिक वारिश श्रवण जो कि भाई है, वह बचा है। ग्राम पंचायत गिदानी द्वारा जारी सिजरा प्रमाण पत्र कमांक 67/2018–19 दिंनाक 20/06/2018 के अनुसार रोडू के एकमात्र विधिक वारिश उसका भाई श्रवण ही हैं। इस प्रकार मेवा व रोडू की उक्त आराजीयात का एकमात्र विधिक वारिश श्रवण ही बचा है, जो वल्दियत दुरूस्त करवाते हुये उक्त सम्पूर्ण आराजीयात अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी को उक्त गलत वल्दियत दर्ज होने का कभी भी इल्म नही रहा। वादी शान्तिपूर्वक मौके पर काबिज काश्त रहकर उपज प्राप्त करता आ रहा था, अभी हाल ही में रोडू की विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने हेतू दिंनाक 29/10/2018 को पटवार हल्का के पास गया तो पटवार हल्का द्वारा वल्दियत गलत दर्ज होने बाबत बताया, तब वादी को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुयी, जिस पर वादी ने पटवारी हल्का से उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतू निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने उक्त इन्द्राज दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया,तब तहसीलदार महोदय को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने माननीय न्यायालय में चाराजोंही कर इन्द्राज को दुरूस्त करवाने की सलाह दी, इसलिये वादी को उक्त वाद–पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज माननीय न्यायालय के समक्ष पेशक करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि ''क–यह कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी घोषणा दुरूस्ती इन्द्रात डिकी जाकर वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में दर्ज खातेदार रोडू, श्रवण पि. मेवा जाति गुर्जर सा0 देह की वल्दियत मेवा हजफ की जाकर रामू दर्ज की जावें एवं रोडू नाऔलाद फौत होने एवं वादी ही एकमात्र विधिक वारिश होने से उक्त सम्पूर्ण भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 10/06/2019 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 हरपाल, पीडब्ल्यू 2 रामधन के

सहायक ... (कोर्ट ...)

Signature Not Ver
Digitally signed by Ra
Shekhawat
Date: 2020.12.11 15:3
Reason: SelfAttested

शपथ–पत्र पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, गिरदावरी, आधारकार्ड, मृत्यु प्रमाण रोडू, सिजरा ग्राम पंचायत तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि तहसीलदार दूदू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ''ग्राम गिदानी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 491 के आराजी खसरा नम्बर 152 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि रोडू, श्रवण पि0 मेवा जाति गुर्जर सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है, ग्राम गिदानी के ना0स0 383 दिनांक 20/09/1976 से साबिक ख.न. 509/1 मी. में 05 बीघा भूमि मेवा पुत्र रामू कौम गुर्जर सा0 देह गैरखातेदार स्वीकार हुआ हैं। नवीन सैटलमेन्ट में साबिक खसरा नम्बर 509/1 के हाल खसरा नम्बर 152, 153, 154 बनाये गये है। गिदानी के ना0स0 629 दिनाक 19/06/1990 में दर्ज पटवारी रिपोर्ट अनुसार मेवा पुत्र रामू गुर्जर के फौत होने पर (कुंआरा) उसके दोनों भाई रोडू, श्रवण के नाम नामान्तरकरण दर्ज वास्ते निर्णय पेश किया जाना वर्णित है, ना0स0 629 के कॉलम नम्बर 9 में रोडू, श्रवण पि0 मेवा गुर्जर सा0 देह गैरखातेदार दर्ज किया जाकर दिनांक 19/06/1990 को स्वीकार हुआ है। ना0स0 629 में कॉलम संख्या 16 में दर्ज रिपोर्ट पटवारी के अनुसार रोडू श्रवण मृतक खातेदार मेवा के भाई है जबकि कॉलम संख्या 9 में रोडू, श्रवण पि0 मेवा का इन्द्राज गलत हुआ हैं। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी रोडू अविवाहित ही फौत हो चुका हैं। ग्राम गिदानी का नामान्तरकरण संख्या 629 मेवा पुत्र रामू की विरासत पर उसके भाईयों रोडू, श्रवण के दर्ज की गयी है, जिनके पिता का नाम रामू के स्थान पर भाई का नाम मेवा का नाम सहवन से दर्ज हुआ हैं।''

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या 451 के अनुसार ''रोडू, श्रवण पि0 मेवा जाति गुर्जर सा0 देह गैर खातेदार'' दर्ज है जबकि वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में दर्ज सिजरा के अनुसार रोडू व श्रवण की वल्दियत मेवा न होकर रामू हैं। मेवा तो रोडू व श्रवण का

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Signature Not V
Digitally signed by R
Shekhawat
Date: 2020.12.11 16
Reason: SelfAttested

भाई हैं। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार भी मेवा पुत्र रामू नाऔलाद कुंआरा फौत हुआ तो उस समय उसके दोनों भाईयों रोडू व श्रवण के नाम से नामान्तरकरण संख्या 629 भरा गया उसमें कॉलम नम्बर 9 में रोडू व श्रवण पि0 मेवा सहवन से दर्ज किया जाना पाया जाता हैं। इस प्रकार मेवा की मृत्यु पर उसका हिस्सा उसके दोनों भाईयों रोडू व श्रवण को प्राप्त हुआ चूंकि उक्त भूमि मेवा से प्राप्त हुयी है, इसलिये राजस्व कारकुनानों ने सहवन से मेवा को ही रोडू व श्रवण का पिता मानते हुये वल्दियत मेवा दर्ज कर दी गयी जो कि मात्र सहवन से लिपिकीय भूलवश होना पायी जाती हैं, जबकि सही वल्दियत रामू हैं। इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी रोडू, श्रवण पि0 मेवा के नाम से दर्ज है, लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र से रोडू की मृत्यु होना साबित होती है साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत सिजरा से वादी ही रोडू का विधिक वारिश होना साबित होता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी वादी के वाद की ताईद होती हैं। तहसीलदार दूदू ने भी अपने जवाब में उक्त त्रुटि का उल्लेख करते हुये दुरूस्ती हेतु अनुशंषा की है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वादी अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 152, 153, 154 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर वाके ग्राम गिदानी, तहसील मौजमाबाद में दर्ज खातेदार रोडू, श्रवण पि0 मेवा की वल्दियत मेवा हजफ की जाकर रामू दर्ज की जाती है एवं विवादित आराजीयात का वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/11/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), दूदू

Signature Not Verified
Digitally signed by Raje Shekhawat
Date: 2020.12.11 16:31
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई — अंतिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू मुकाम
इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)
... पुत्र रामू जाति गुर्जर नि. गिदानी ... मौजमाबाद जिला जयपुर राज. बनाम तहसीलदारजी, तह. मौजमाबाद जिला जयपुर राज.

दावा बाबत दावा

मुकद्दमा नं. 100 सन् 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रामरतन मीणा RAS ...
...री ... मिनजानिब मुद्दई रूबरू तहसीलदारजी मौजमाबाद
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
... डिक्री किया जाकर विवादित आराजी सं.नं. 152, 153, 154 कुल किता 03 कुल ... 2600 हैक्टेयर वाके ग्राम गिदानी, तह. मौजमाबाद में दर्ज खातेदार रोडू, ... पि. मेवा की वल्दियत मेवा हजफ की जाकर रामू दर्ज की जाती है एवं ... आराजियात का वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुबलिग ... बाबत ...
... स मुकद्दमे के गय सूद नशरह ... फीसदी ... आज की तारीख से
अदायगी तक ... का अदा करे।
... सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 11 सन् 2020 को
... गई।

(मुहर: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ...)

दस्तखत (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर
ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
...र्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...जह सबूत			महन्ताना वकील		
... वकील			खर्चा गवाहान		
...वाहान			फीस कमिश्नर		
...मिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...जराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...क					
मीज़ान			मीज़ान		

...खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajend... Shekhawat
Date: 2020.12.11 15:31:3...
Reason: SelfAttested